

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/119
प्रकरण संख्या 75/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री जगदीश पिता गोपाल जाति अहीर निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर।
.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामा पुत्र धन्ना अहीर निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)।
2. श्री प्रथा पिता भेरा अहीर निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)।
3. श्री नन्दलाल पिता लक्ष्मण अहीर निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)।
4. श्री नारायणलाल पिता भगवान अहीर निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर ।
5. श्री भेरूलाल पिता हीरा अहीर निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)।
6. श्री हरलाल पिता मियाला मेघवाल निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)।
7. श्री मोती पिता उंकार अहीर निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)।
8. श्रीमती कन्नी पत्नी हीरा अहीर निवासी हिंता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़, जिला उदयपुर।
.....अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री कमलेश खटीक

निर्णय

दिनांक : 27.06.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हींता, पटवार हल्का हिंता भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त सालेड़ा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 174 की आराजी संख्या 3597 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3606 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3608 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4948 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4950 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4955 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5076 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5077 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5445 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5448 रकबा 0.5300 हैक्टेयर कुल कित्ता 10 कुल रकबा 4.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण का नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।



(Handwritten signature)

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढंग से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि के चारो तरफ पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिनाय दिनांक 01.04.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।


3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा हींता, पटवार हल्का हिंता भूअभिलेख निरीक्षक वृत सालेड़ा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 174 की आराजी संख्या 3597 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3606 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3608 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4948 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4950 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4955 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5076 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5077 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5445 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5448 रकबा 0.5300 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 8 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा हींता, पटवार हल्का हिंता भूअभिलेख निरीक्षक वृत सालेड़ा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 174 की आराजी संख्या 3597 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3606 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3608 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4948 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4950 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4955 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5076 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5077 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5445 रकबा 0.1100

हैक्टेयर, आराजी संख्या 5448 रकबा 0.5300 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा हींता, पटवार हल्का हिंता भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त सालेड़ा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 174 की आराजी संख्या 3597 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3606 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3608 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4948 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4950 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 4955 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5076 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5077 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5445 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5448 रकबा 0.5300 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैंशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)